12/A

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, एवम् न्याय निर्णयन अधिकारी, सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी –श्री महेन्द्र लोढ़ा

सिविल प्रकरण संख्या 28/14

तारीख रजू 25/11/14

राजस्थान सरकार जरिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवम् स्वास्थ्य अधिकारी,सवाईमाधोपुर।

–आवेदक

बनाम

1. योगेश सिंघल पुत्र श्री हुकुम चन्द्र सिंघल (मौके पर विक्रेता एवं खाद्य कारोबार कर्त्ता) मैसर्स अग्रवाल इण्डस्ट्रीज एच–22 इण्डस्ट्रीयल एरिया खेरदा पो0/जिला सवाई माधोपुर। निवासी पुरानी अनाज मण्डी शहर सवाई माधोपुर।
2. मुन्नी देवी पत्नि स्व0 सुरजमल जैन (खाघ अनुज्ञापत्र धारी एवं मालिक) मैसर्स अग्रवाल इण्डस्ट्रीज एच–22 इण्डस्ट्रीयल एरिया खेरदा पो0/जिला सवाई माधोपुर।
3. मैसर्स अग्रवाल इण्डस्ट्रीज एच–22 इण्डस्ट्रीयल एरिया खेरदा पो0/जिला सवाई माधोपुर।

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(11)

::निर्णय::

दिनांक: 3.5.18

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवम् मुख्य चिकित्सा एवम् स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री नरेश कुमार चेंजारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(11) प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 07/05/14 को 05:05 पी.एम. पर केन्द्रीय खाद्य सुरक्षा दल के सदस्यों श्री विनोद कुमार शर्मा, श्री विशाल मित्तल, श्री भानूप्रताप, श्री चरणसिंह, श्री राजेश अग्रवाल एवं श्री बद्रीनारायण शर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी के साथ जिला सवाई माधोपुर में मैसर्स अग्रवाल इण्डस्ट्रीज एच–22 इण्डस्ट्रीयल एरिया खेरदा पो0/जिला सवाई माधोपुर पर पहुँचा। वहां पर योगेश सिंघल पुत्र हुकुम चन्द्र सिंघल (मौके पर खाद्य कारोबार कर्त्ता) निवासी–पुरानी अनाज मण्डी शहर सवाई माधोपुर विक्रेता की हैसियत से उपस्थित थे कि उपस्थिति में मिल का निरीक्षण किया जहां पर खाद्य पदार्थ सरसों का तेल निर्माण कर विक्रय हेतु लोहे के ड्रमों में एकत्र किया हुआ था। आवेदक ने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया, विक्रेता से खाद्य अनुज्ञापत्र मांगा जो कि मौके पर नहीं होना बताया तत्पश्चात् विक्रय हेतु रखे खाद्य पदार्थ सरसों का तेल का नमूना लेने हेतु विक्रेता योगेश सिघंल को अवगत कराया गया तत्पश्चात् नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5 ए की प्रति गवाह की उपस्थिती में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली एवं नमूने की सभी औपचारिकता पूर्ण कर उक्त नमूना सील्ड लिफाफे में पत्रवाहक मौ0 असलम द्वारा खाद्य विश्लेषक कोटा का जमा करवाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त की तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी0ओ0 एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र कमांक एफएसएसए/2014/843 दिनांक 29/05/14 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त रिपोर्ट सं0 एफएसएसएल/2014/171 दिनांक 26/05/14 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ सरसों का तेल अनसेफ प्रकृति का पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट से अभियुक्त असंतुष्ट होने पर रेफरेल प्रयोगशाला में जांच हेतु आवेदन किया। जिस पर नमुने के द्वितीय भाग को रेफरल प्रयोगशाला गाजियाबाद में जांच हेतु भिजवाया गया। निदेशक रेफरल फुड लेबोरेट्री गाजियावाद की सर्टिफिकेट सं0 649/Sept/14-Raj Date 29-09-14 के अनुसार वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया सरसों का तेल खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 3(1)(Zx) के अनुसार अवमानक होना पाया गया।

उक्त प्रकरण में विक्रेता द्वारा अवमानक प्रकृति के खाद्य पदार्थ सरसों का तेल का विक्रय व निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(।।) का उल्लंघन किया है । जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है ।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

13/A

न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत होने पर दर्ज किया जाकर अभियुक्त को जरिए सम्मन तलब किया गया। अभियुक्तगण मय वकील उपस्थित हुए। अभियुक्त द्वारा जबाब प्रस्तुत करने पर अभियोजन अधिकारी व अभियुक्त की बहस सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कहा कि अभियुक्त द्वारा अवमानक प्रकृति के खाद्य पदार्थ सरसों का तेल का विक्रय करने का दोष साबित है,अतः अधिकतम शास्ति से दण्डित किया जावे।

अभियुक्त ने जवाब में अंकित तथ्यों क हवाला देते हुए बहस में निवेदन किया है कि उक्त प्रकरण में खाध पदार्थ सरसों के तेल की दो बार जांच करवाई गई जिसमें जांच रिपोर्ट कोटा के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ सरसों का तेल अनसेफ पाया गया व जांच रिपोर्ट गाजियावाद के अनुसार खाद्य पदार्थ सरसों को तेल अवमानक स्तर का पाया गया, साथ ही आवेदक द्वारा नमूना लेते समय उक्त खाद्य पदार्थ सरसों का तेल को पूर्व रूप से हिलाकर नहीं लिया गया है, जिसकी पूष्टि आवेदक ने स्वयं अपने बयानों में की है तथा आवेदक को खाद्य सूरक्षा अधिनियम नियुक्ति संबंधित कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, जिससे वह खाद्य पदार्थो की जांच कर सके, साथ ही वकील अभियुक्त ने एफएजे 2013, एफएजे 2015 , एफएजे 2012 नजीरे पेश की, साथ ही वकील अभियुक्त ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र निस्तारण करने हेतु निवेदन किया है।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त रिपोर्ट सं0 एफएसएसएल/2014/171 दिनांक 26/05/14 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ सरसों का तेल अनसेफ प्रकृति का पाया गया तथा निदेशक रेफरल फुड लेबोरेट्री गाजियावाद की सर्टिफिकेट सं0 649/**Sept/14-Raj Date 29-09-14** के अनुसार वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया सरसों का तेल खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 3(1)(**Zx**) के अनुसार अवमानक होना पाया गया। उक्त खाद्य पदार्थ का दो प्रयोगशालाओं में जांच करवाई गई ,जिसमें से एक में अनसेफ व दूसरे रेफरल प्रयोगशाला मे अवमानक स्तर का पाया गया। वकील अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत नजीरें से मैं सहमत नहीं हूँ।

उक्तांकित विवेचन के आधार पर अभियुक्त खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम,2006 व नियम 2011 की धारा 26 (2) (11) का अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्ध अपराधी करार दिया जाता है तथा उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवम् मानक नियम,2011 के नियम 51 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित हैं तथा चूकि अभियुक्त द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति का अपराध प्रथम बार किया जाना पाया जाता है।

अतः अभियुक्त को मिसब्राण्ड प्रकृति के खाद्य पदार्थ सरसों का तेल का विक्रय व निर्माण करने पर खाद्य सुरक्षा एवम् मानक नियम,2011 के नियम 51 के अन्तर्गत अभियुक्त संख्या 1 लगायत 3 को संयुक्त रूप से 40,000 रूपये (चालीस हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि से अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि तीस दिवस की अवधि के भीतर –भीतर न्याय निर्णय अधिकारी एवम् अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाईमाधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट द्वारा न्याय निर्णयन अधिकारी को जमा करवावे। अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेगी।आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या अधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिए पंजीकृत डाक प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 3.5.18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महेन्द्र लोढ़ा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवम
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सवाईमाधोपुर